



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-04112024-258426
CG-GJ-E-04112024-258426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 883]
No. 883]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2024/कार्तिक 10, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2024/KARTIKA 10, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 29 अक्टूबर, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2024

आईएफएससीए/जीएन/2024/011.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 29ख के साथ पठित धारा 4, 8क और 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित धारा 23छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 (जिसे इसके पश्चात मुख्य विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बाजार अवसंरचना संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(ग) ‘समाशोधन निगम’ का तात्पर्य एक ऐसी एंटीटी से है जो प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों में व्यापार के समाशोधन

और निपटान कार्यकलाप करने के लिए स्थापित की गई है और इसमें समाशोधन गृह शामिल है;

3. मूल विनियमों के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ज) किसी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के संबंध में “मुख्य प्रबंधन कार्मिक” का अर्थ निम्नानुसार होगा और इसमें निम्नांकित शामिल होंगे:

- i. इसके प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति;
- ii. किसी विभाग या वर्टिकल के प्रमुख के रूप में कार्यरत व्यक्ति और सीधे प्रबंध निदेशक या इसके शासी बोर्ड के निदेशकों को रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति;
- iii. इन विनियमों के विनियम 27 में निर्दिष्ट मुख्य कार्य के प्रमुख के रूप में कार्यरत व्यक्ति;
- iv. ऐसा व्यक्ति जो किसी विभाग(विभागों) के प्रमुख से पदानुक्रम में उच्चतर है जो इसके मुख्य कार्य(कार्यों) को संभालता है;
- v. वह व्यक्ति जिसे प्रमुख प्रबंधन कार्मिक रिपोर्ट करता है;
- vi. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति; या
- vii. कोई अन्य व्यक्ति जो इसके शासी बोर्ड द्वारा चिह्नित निर्णय लेने वाला प्रमुख प्राधिकारी है।

4. मूल विनियमों के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (ट) में, “ट्रेडिंग सदस्य” शब्दों को “ब्रोकर डीलर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम (2) में, उप-विनियम (1) में, खंड (ठ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ठक) “गैर-स्वतंत्र निदेशक” का तात्पर्य शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित या नामित निदेशक से है, जो न तो ब्रोकर डीलर है, न ही समाशोधन सदस्य है, न ही निक्षेपागार प्रतिभागी है, या उनका सहयोगी या एजेंट है;”

6. मूल विनियमों के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ण) और (त) का विलोप किया जाएगा।

7. मूल विनियमों के विनियम 8 में, उप-विनियम (2) में, खंड (घ) में, “प्रतिभूतियाँ” शब्द को, “प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. मूल विनियमों के विनियम 8 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) और (च) में, “ट्रेडिंग सदस्य” शब्दों को “ब्रोकर डीलर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल विनियमों के विनियम 10 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“10क. मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के लिए आचार संहिता- मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-क के अधीन निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।”

10. मूल विनियमों के विनियम 15 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सन्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण I- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ‘मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त निक्षेपागार के निवल मूल्य’ का तात्पर्य प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और मुक्त रिजर्व (सांविधिक निधि, लाभ निधि और पुनर्मूल्यांकन से सृजित रिजर्व को छोड़कर) के कुल मूल्य से है, जिसे संबंधित या असंबंधित व्यवसायों में निवेश, संचित घाटे का कुल मूल्य और बट्टे खाते में नहीं डाला गया आस्थगित व्यय, जिसमें बट्टे खाते में नहीं डाला गया विविध व्यय शामिल हैं, में से घटाया गया है।

स्पष्टीकरण II- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ‘समाशोधन निगम का निवल मूल्य’ का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से गणना की गई इसकी चल परिसंपत्तियों के कुल मूल्य से है।

स्पष्टीकरण III- नकद और बैंक बैलेंस, सावधि जमा, सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य उपकरण जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, समाशोधन निगम के निवल मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ ‘चल परिसंपत्तियाँ’ मानी जाएंगी।

11. मूल विनियमों के विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और उसके परंतुक को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) भारत में मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम, आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार, जिसके पास ऐसे संयुक्त उद्यम द्वारा, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारित है।”

12. मूल विनियमों के विनियम 17 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और उसके परंतुक को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) भारत में मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम, आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार, जिसके पास ऐसे संयुक्त उद्यम द्वारा, मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारित है।”

13. मूल विनियमों के विनियम 18 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और उसके परंतुक को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) भारत मान्यता प्राप्त, आईएफएससी या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम, जिसमें ऐसे संयुक्त उद्यम द्वारा, मान्यता प्राप्त निक्षेपागार की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का न्यूनतम इक्यावन प्रतिशत धारित है।”

14. मूल विनियमों के विनियम 23 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और उसके परंतुक को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“**स्पष्टीकरण:** इस उप-विनियम के उप-खंड (v) और (vi) के प्रयोजन के लिए, किसी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान या उसके शेयरधारकों के विरुद्ध कोई आदेश या निदेश, जैसा भी मामला हो, ऐसे मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि आदेश या निदेश में ऐसा स्पष्ट रूप से निदेशित न हो।”

15. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) और उसके परंतुक को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) भारत में मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम, आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार, जिसके पास ऐसे संयुक्त उद्यम द्वारा, मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारित है।”

15. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) में, “शेयरधारक निदेशक” शब्दों को, “गैर स्वतंत्र निदेशक” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ड) को, निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“आईएफएससी में निक्षेपागार प्रतिभागियों के नामिती या उनके सहयोगी या एजेंट, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के नामिती (ओं) को छोड़कर, किसी मान्यता प्राप्त निक्षेपागार के शासी बोर्ड में नहीं होंगे।”

17. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (2) में, खंड (च) में, निम्नलिखित परंतुक सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“आईएफएससी में निक्षेपागार प्रतिभागियों के नामिती या उनके सहयोगी या एजेंट, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के नामिती (ओं) को छोड़कर, किसी मान्यता प्राप्त निक्षेपागार के शासी बोर्ड में नहीं होंगे।”

18. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (2) में, खंड (छ) में निम्नलिखित परंतुक अंतर्निष्ठ किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि जनहित निदेशक को पचहत्तर वर्षों की आयु सीमा के अध्यधीन मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों में अधिकतम तीन कार्यकालों के लिए नियुक्त किया जा सकता है।”

इसके अलावा यह भी कि, विद्यमान जनहित निदेशक अपने वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रह सकते हैं।

19. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (2) में, खंड (छ) में निम्नलिखित परंतुक अंतर्निष्ठ किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2क) प्राधिकरण किसी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड में तीन से अधिक निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, जिन्हें शासी बोर्ड के अन्य निदेशकों के समान दर्जा और शक्तियां प्राप्त होंगी।”

20. मूल विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (2) में, खंड (i) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी:

“बशर्ते कि प्रथम कार्यकाल पूरा होने के पश्चात्, मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का नए सिरे से संचालन करेगी:

इसके अलावा यह कि, मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान द्वारा प्रबंध निदेशक को, अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष के अध्यधीन, अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।”

इसके अलावा यह भी कि, विद्यमान प्रबंध निदेशक वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति तक पद पर बने रहेंगे।

21. मूल विनियमों के विनियम 25 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“25. शासी बोर्ड, निदेशकों, समिति सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता-(1) किसी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड, निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-ख के अंतर्गत निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

(2) प्राधिकरण, निदेशकों, समिति सदस्यों या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इन विनियमों या आचार संहिता का पालन करने में किसी विफलता या किसी भी हित के विवाद के मामले में, मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के संदर्भ पर या स्वप्रेरणा से, उसे पदमुक्त करने या नियुक्ति को समाप्त करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है।

22. मूल विनियमों के विनियम 25 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“25क प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवज़ा. - (1) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा।

(2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक नीति के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के मुआवज़े का निर्धारण करेगा।

(3) क्षतिपूर्ति नीति में मालस और क्लॉबैक व्यवस्थाएं होंगी।

(4) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के प्रबंध निदेशक को देय क्षतिपूर्ति और उसमें किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी।”

23. मूल विनियमों के विनियम 26 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“26. समितियां.-(1) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट, कार्यात्मक समितियों, निरीक्षण समितियों और ऐसी अन्य समितियों का गठन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना, कोरम और कार्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।”

24. मूल विनियमों के विनियम 27 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“27. कार्यों का पृथक्करण.-(1) एक मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान अपने मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों को चिह्नित करेगी, और उन्हें निम्नलिखित वर्टिकल में विभाजित करेगी:

क) वर्टिकल 1: महत्वपूर्ण संचालन;

ख) वर्टिकल 2: विनियामक, विधिक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक शिकायतें;

ग) वर्टिकल 3: व्यवसाय विकास सहित अन्य कार्य।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित वर्टिकल के कार्य इन विनियमों की अनुसूची-II में दिए गए हैं।

(3) प्रत्येक बाजार अवसंरचना संस्थान उप-विनियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित वर्टिकल 2 के अंतर्गत कार्यों और कार्मिकों को अन्य वर्टिकल से पृथक रखेगा।

25. मूल विनियमों के विनियम 29 के शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“29. प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की स्वीकृति”

26. मूल विनियमों के विनियम 29 में, “प्रतिभूतियों की कोई नई श्रेणी” शब्दों के पश्चात्, “या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद” शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे।

27. मूल विनियमों के विनियम 31 में, उप-विनियम (6) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण: उप-विनियम (6) के अंतर्गत विस्तृत रूपरेखा, अन्य बातों के साथ-साथ निधि की स्थापना के लिए समाशोधन सदस्यों, मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए जाने वाले अंशदान को निर्दिष्ट करेगी और कमी की स्थिति में निधि की पुनःपूर्ति के लिए तंत्र भी प्रदान करेगी।

28. मूल विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियम (1) को, निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) सभी उत्पाद श्रेणियों के लिए ट्रेडिंग घंटे, लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा तय किए जाएंगे, लेकिन एक दिन में 23 घंटे और 30 मिनट से अधिक नहीं होंगे, और निपटान कार्य एक दिन में कम से कम एक बार किया जाएगा।

बशर्ते कि मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रेडिंग घंटों के दौरान, खुले बायदा अनुबंधों पर मार्क-टू-मार्केट घाटे को जोखिम मूल्यांकन के आधार पर नियमित अंतराल पर संपार्श्विक बनाया जाएगा।”

29. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (1) में, शब्द “बीस” को, शब्द “आठ” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

30. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (2) में, शब्द “बीस” को, शब्द “आठ” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

31. मूल विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (3) में, शब्द “ट्रेडिंग सदस्य” को, शब्द “ब्रोकर डीलर” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

32. मूल विनियमों के विनियम 43 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“43क. मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के संकार्यों का समापन.- (1) मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों परिदृश्यों को समाहित करते हुए अपने महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं के व्यवस्थित समापन के लिए रूपरेखा तैयार करेगा।

(2) मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करेगा कि रूपरेखा में निम्नलिखित का प्रावधान हों:-

(क) स्थिति(यों) का समय पर और व्यवस्थित निपटान या समापन या अंतरण;

(ख) सदस्यों की संपार्श्विक(कों) या जमा(ओं) या उपार्जन(नों) या किसी अन्य परिसंपत्ति(यों) का किसी अन्य मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम, जो समाशोधन निगम के संचालन को संभालेगा, को अंतरण; और

(ग) ऐसे अन्य संबंधित मामले।

(3) मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम अपने उपनियमों में संदर्भित उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रूपरेखा को शामिल करेगा।”

33. मूल विनियमों के विनियम 44 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“44. अमूर्तिकरण के लिए पात्र उपकरण. - एससीआरए और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों के अधीन परिभाषित सभी प्रतिभूतियाँ मान्यता प्राप्त निक्षेपागार में अमूर्तिकृत रूप में रखे जाने के लिए पात्र होंगी।”

34. मूल विनियमों के विनियम 57 में, उप-विनियम (3) में, शब्द “बीस” को, शब्द “आठ” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

35. मूल विनियमों के विनियम 62 में, शब्द “बीस” को, शब्द “आठ” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

36. मूल विनियमों के विनियम 63 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“63क. मुख्य जोखिम अधिकारी.-(1) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो, मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के कामकाज से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदमों को चिह्नित करने, निगरानी करने और इन्हें शुरू करने का कार्य करेगा।

(2) मुख्य जोखिम अधिकारी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा और प्राधिकरण को छमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”

“63ख. मुख्य विधिक अधिकारी.-(1) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान, जो बाजार अवसंरचना संस्थान(नों) की सहायक कंपनी या बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम नहीं है, के लिए मुख्य विधिक अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक होगा।

(2) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान, जो बाजार अवसंरचना संस्थान(नों) की सहायक कंपनी या बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम है, अपनी मूल एंटीटी से विधिक सहायता ले सकता है।

बशर्ते कि यदि मूल एंटीटी द्वारा अपेक्षित विधिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, तो ऐसे मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान अपने विधिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए मुख्य विधिक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे।

इसके अलावा यह भी कि प्राधिकरण आईएफएससी में परिचालन के निर्दिष्ट आकार और पैमाने से परे किसी भी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान को मुख्य विधिक अधिकारी नियुक्त करने की अनिवार्यता लागू कर सकता है।

(3) मुख्य विधिक अधिकारी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के कामकाज से जुड़े विधिक जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, को उठाने के लिए उत्तरदायी होगा, -

(क) प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने से पहले उप-नियमों या उनमें किसी संशोधन का मसौदा तैयार करना और उसकी जांच करना;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी सीमा-पार व्यवस्था से संबंधित कानूनी दस्तावेजों की जांच करना; और

(ग) किसी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट अन्य कार्य।

63ग. मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी.-(1)

(1) मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के अतिरिक्त मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की अलग से नियुक्ति करेगा।

(2) मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान की साइबर सुरक्षा स्थिति की देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा और सीधे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

37. मूल विनियमों के विनियम 73 में, उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6) दिनांक 13 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या 286/आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/पीएम/2021, दिनांक 30 नवंबर, 2021 के परिपत्र संख्या 286/आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/पीएम/2021/001 तथा दिनांक 16 दिसंबर, 2021 के परिपत्र संख्या 286/आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/पीएम/2021/002 को इन संशोधन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से निरस्त किया जाता है।”

(7) उप-विनियम (6) के होते हुए भी, इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व उप-विनियम (6) के अंतर्गत उल्लिखित परिपत्रों के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई या की गई कार्रवाई इन विनियमों के संगत उपबंधों के अंतर्गत की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

38. मूल विनियमों के अंत में निम्नलिखित को अनुसूची-I और अनुसूची-II के रूप में शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची-I

(विनियम 10क देखें)

भाग क: मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के लिए आचार संहिता मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान:

(क) आईएफएससीए अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों, जिनमें कोई भी नियम, विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश

और उसके अधीन जारी कोई अन्य निदेश शामिल हैं, का पालन करेगा।

- (ख) उचित परिश्रम उपाय अपनाएगा।
- (ग) जोखिम प्रबंधन ढांचे और सुशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करेगा।
- (घ) निवेशकों की सुरक्षा और निवेशकों की शिक्षा के लिए उचित उपाय करेगा।
- (ङ) अपने सभी आवेदकों या सदस्यों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करेगा।
- (च) आईएफएससीए अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और इनके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिदेशों अन्य निदेशों के अनुसार, इसके किसी भी सदस्य, प्रतिभागी या जारीकर्ता द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा।
- (छ) निवेशकों के हितों की रक्षा, बाजार अवसंरचना संस्थान की प्रणाली और प्रतिभूति बाजार की अखंडता के प्रति सक्रिय और उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगा।
- (ज) अपने और अपने सदस्यों या प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को शुरू करने का प्रयास करेगा।
- (झ) अत्यंत सद्भावना से कार्य करेगा और अपने कार्यों के संचालन में हितों के टकराव से बचेगा।
- (ञ) ऐसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगा जिससे किसी अन्य बाजार अवसंरचना संस्थान, उनके सदस्यों, प्रतिभागियों या निवेशकों के हितों को हानि पहुंचने की संभावना हो या किसी असाइनमेंट के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने के दौरान उन्हें नुकसानदेह स्थिति में डालने की संभावना हो जाए।
- (ट) बाजार अवसंरचना संस्थान के भीतर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अलग करेगा, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:
 - (i) संबंधित पद के लिए विधिक और विनियामक कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से मानचित्रण करना;
 - (ii) प्रत्येक पद के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन को परिभाषित करना;
 - (iii) व्यवसाय और सहायक टीमों को विनियामक, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन पहलुओं को सौंपना।
- (ठ) अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में अपने कर्मचारियों के कार्यों या चूक के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ड) सदस्यों या प्रतिभागियों द्वारा नियमों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनका आचरण इस तरह से हो जो निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हितों की रक्षा करेगा।

भाग ख

(विनियम 25 के उप-विनियम (1) देखें)

शासी बोर्ड, निदेशकों, समिति के सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता

I. शासी बोर्ड

मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान का शासी बोर्ड-

- (क) बाजार अवसंरचना संस्थान के लाभप्रदता मार्जिन का मूल्यांकन करेगा।
- (ख) विनियामक अनुपालन के लिए संसाधन आवंटन (वित्तीय और मानवीय दोनों) की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा।
- (ग) कार्यनीति, नीति स्तर के मुद्दों और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- (घ) केवल असाधारण मामलों में, दिन-प्रतिदिन के परिचालन मामलों की समीक्षा करेगा।
- (ङ) बाजार अवसंरचना संस्थान के प्रौद्योगिकी के साथ-साथ विनियामक, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और निवेशक शिकायत निवारण कार्यों सहित महत्वपूर्ण परिचालनों की देखरेख करेगा।

- (च) प्रबंध निदेशक और अन्य प्रमुख पदों के लिए उत्तराधिकार नियोजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
- (छ) बाजार अवसंरचना संस्थान की जोखिम क्षुधा या जोखिम सहनशीलता नीति को समाहित करते हुए जोखिम प्रबंधन ढांचे को परिभाषित करने, स्थापित करने और उसका दस्तावेजीकरण करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि नीति में निम्नलिखित शामिल हों:-
- प्रमुख प्रक्रियाओं में जोखिम भूख की भूमिका;
 - बाजार अवसंरचना संस्थान की जोखिम भूख के प्रदर्शन की निगरानी के लिए स्पष्ट मात्रात्मक मीट्रिक और सीमाएँ;
 - उल्लंघनों की स्वीकार्यता और ट्रिगर प्रतिक्रिया(एँ), यदि कोई हो;
 - साइबर सुरक्षा, तंत्रीय स्थिरता, निगरानी, निष्पक्ष पहुँच, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अनुपालन आदि जैसे क्षेत्रों के लिए शून्य सहिष्णुता।
- (ज) प्रमुख हितधारकों (कार्यकारी और गैर-कार्यकारी) को संगठन के भीतर जोखिम क्षुधा के उपयोग और मूल्य (उल्लंघनों की विवीक्षा सहित) से अवगत कराना और जोखिम क्षुधा मैट्रिक्स और सीमाओं की सावधिक समीक्षा और अनुमोदन करना।
- (झ) विनियामक और नियंत्रण कार्यों (जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और लेखा परीक्षा कार्य) जैसे प्रमुख कार्यों की पर्याप्त स्वतंत्रता सुनिश्चित करना जैसे कि;
- विनियामक और नियंत्रण कार्यों का अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त सम्मान हो;
 - विनियामक और नियंत्रण कार्य स्वतंत्र रूप से संचालित हों और बाजार अवसंरचना संस्थान और वरिष्ठ प्रबंधन के शासी बोर्ड तक उचित सीधी पहुँच रखते हों;
 - नियंत्रण कार्य सभी प्रासंगिक निर्णयों और गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हों।
- (ञ) रक्षा निर्माण की तीन पंक्तियों के लिए प्रावधान करना जहां:
- रक्षा की पहली पंक्ति में व्यावसायिक इकाइयाँ और समर्थन कार्य शामिल हैं क्योंकि इसका उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को स्वयं संभालने और प्रबंधित करने की है;
 - रक्षा की दूसरी पंक्ति में विभिन्न निरीक्षण कार्य, जैसे कि विनियामक, जोखिम प्रबंधन शामिल हैं;
 - रक्षा की तीसरी पंक्ति में आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य शामिल है।
- (ट) यह सुनिश्चित करना कि रक्षा की तीन पंक्तियों के संबंध में प्रबंधन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और समझी गई हैं और सभी कर्मचारी विनियामक, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं।
- (ठ) प्रभावी संचार और चुनौती की संस्कृति सुनिश्चित करना (अर्थात्, व्यक्तियों और समूहों से वैकल्पिक विचारों या प्रश्नों को प्रोत्साहित करना) और इसे महत्व देना और इसका सम्मान करना।
- (ड) सुनिश्चित करना कि किसी भी नए उत्पाद, सेवा, राजस्व धारा को बाजार बुनियादी ढांचे संस्थान के संबंधित विभाग द्वारा सामान्य व्यवहार्यता मुद्दों के अलावा अनुपालन और जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से जांचा जाए।
- (ढ) सभी विद्यमान उत्पादों, सेवाओं और राजस्व धाराओं की समय-समय पर समीक्षा करना।
- (ण) प्रबंध निदेशक और किसी अन्य कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति के बिना, मुख्य नियामक अधिकारी या अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, बाजार बुनियादी ढांचे संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक और सार्वजनिक हित निदेशकों और शेयरधारक निदेशकों द्वारा निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आवधिक आधार पर बाजार बुनियादी ढांचे संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।
- (त) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैठकों की संख्या तर्कसंगत है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है, शासी बोर्ड और वैधानिक समितियों की बैठकों और कार्यसूची मदों की आवृत्ति की समय-समय पर समीक्षा करेंगे।

- (थ) यह सुनिश्चित करें कि कार्यसूची पत्रों को शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- (द) यह सुनिश्चित करेंगे कि शासी बोर्ड के सदस्य अपनी बैठक के दौरान कार्यसूची मद रख सकें।
- (ध) बाजार अवसंरचना संस्थान के निदेशकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (न) बाजार अवसंरचना संस्थान में एक मजबूत संस्कृति को बनाए रखें और व्यवहार, कार्यों और प्रभावी संचार के माध्यम से शीर्ष से लक्ष्य संस्कृति को बढ़ावा दें।
- (प) संस्थान के लक्ष्य विनियामक, अनुपालन, जोखिम और आचरण संस्कृति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संप्रेषित करें।
- (फ) प्रयास करें कि बाजार अवसंरचना संस्थान संस्कृति से संबंधित प्रमुख तत्वों को लागू करे जैसे कि:
- कर्मचारियों को व्यवहार की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदाहरण के लिए, दुविधाओं पर प्रशिक्षण);
 - अंतराल पर संस्कृति से संबंधित संकेतकों को मापने और ट्रैक करने के लिए तंत्र;
 - जवाबदेही तंत्र; और
 - प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र जो संस्कृति, आचरण और व्यवहार संबंधी आयामों के पालन को ध्यान में रखते हैं।

II. निदेशकों, समिति सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता

क. मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के निदेशकों, समिति सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों पर लागू:

1. सामान्य उत्तरदायित्व

मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के प्रत्येक निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कर्मी-

- बाजार अवसंरचना संस्थान के मुद्दों का व्यावसायिक क्षमता, शुचिता, निष्पक्षता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ विश्लेषण और प्रशासन करेंगे;
- बाजार अवसंरचना संस्थान द्वारा समय-समय पर उनके नियमों, उप-नियमों या एसोसिएशन के लेखों के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण, होलिंग्स का विवरण, प्रतिभूतियों में लेन-देन प्रस्तुत करेंगे;
- जब तक विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इसे गोपनीयता बनाए रखेंगे और अपने कर्तव्य के निर्वहन में प्राप्त किसी भी जानकारी को प्रकट या प्रकट नहीं करेंगे और ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करेंगे;
- सार्वजनिक विश्वास को प्रेरित करने और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अपमानजनक कार्यों में संलग्न न होने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे;
- अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ तरीके से पालन करेंगे और ऐसी गतिविधियों से बचेंगे जो उनकी स्वतंत्रता या वस्तुनिष्ठता या आधिकारिक कर्तव्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या नुकसान पहुंचाती हुई प्रतीत होती हैं;
- अपने कर्तव्यों का सकारात्मक दृष्टिकोण से पालन करें और रचनात्मक रूप से खुले संचार, रचनात्मकता, समर्पण और करुणा का समर्थन करेंगे;
- नैतिक अधमता, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल, या गलत बअर्थात या बाजार अवसंरचना संस्थान के प्रशासन के लिए हानिकारक किसी भी अन्य कार्य में शामिल नहीं होंगे;
- नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देंगे;
- अपने व्यवसाय के संचालन में, वाणिज्यिक सम्मान के उच्च मानकों और व्यापार के न्यायसंगत और न्यायसंगत सिद्धांतों का पालन करेंगे;
- व्यावसायिक जीवन में अपने आचरण में अनुकरणीय बनेंगे जो दूसरों के लिए एक मानक स्थापित कर सके;

- (ट) बाजार अवसंरचना संस्थान, प्रौद्योगिकी या सेवा प्रदाताओं और बाजार अवसंरचना संस्थान के विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं, या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी भी कंपनी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्वीकार की गई किसी भी जारीकर्ता कंपनी के कार्यकारी या प्रशासनिक कर्मचारियों को या उनसे पक्षपात करने या प्राप्त करने के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करेंगे;
- (ठ) ऐसा कोई कार्य न करें जिससे बाजार अवसंरचना संस्थान की प्रतिष्ठा को खतरा हो;
- (ड) प्रतिभूति बाजार से संबंधित सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे;
- (ढ) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हर समय बाजार अवसंरचना संस्थान की सभी आंतरिक नीतियों का अनुपालन करेंगे, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है। यदि बाजार अवसंरचना संस्थान की आचार संहिता नीति और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता नीति के बीच कोई टकराव होता है, तो प्राधिकरण द्वारा जारी नीति ही मान्य होगी।

2. विनियामक अनुपालन

मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों के प्रत्येक निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक -

- (क) यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार अवसंरचना संस्थान आईएफएससीए अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के सभी लागू उपबंधों का पालन हो, जिसमें कोई भी नियम, विनियम, परिपत्र, निदेश या उसके अधीन जारी कोई अन्य निदेश शामिल हैं;
- (ख) सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ताकि विनियामक प्रणाली में कोई उल्लंघन न हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार अवसंरचना संस्थान सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा का सम्मान करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

3. लाभकारी हित का प्रकटीकरण

सभी निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, पदभार ग्रहण करने पर और पद पर अपने कार्यकाल के दौरान, मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेंगे:-

- (क) आईएफएससी में किसी भी ब्रोकर डीलर या समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार प्रतिभागी या रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट में स्वयं और परिवार के सदस्यों और निदेशक या भागीदारी का कतिपय प्रत्ययी संबंध;
- (ख) शेयरधारिता, ऐसे मामलों में जहां निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की शेयरधारिता, सीधे या उसके परिवार के माध्यम से किसी सूचीबद्ध कंपनी में या प्रतिभूति बाजारों से संबंधित अन्य संस्थाओं में 5 प्रतिशत से अधिक हो;
- (ग) कोई अन्य व्यावसायिक हित।

4. सूचना तक पहुंच

- (क) ऐसे निर्धारित चैनल होंगे जिनके माध्यम से सूचना प्रसारित होगी और आगे भी उसका ऑडिट किया जाएगा। गोपनीय दस्तावेजों या सूचनाओं की किसी भी प्राप्ति को उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।
- (ख) ऐसी सभी सूचनाएं, विशेष रूप से जो गैर-सार्वजनिक और मूल्य-संवेदनशील हैं, गोपनीय रखी जाएंगी और किसी भी व्यक्तिगत विचार या लाभ के लिए उपयोग नहीं की जाएंगी।
- (ग) बाजार अवसंरचना संस्थान के व्यवसाय या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी, जो निदेशकों या समिति के सदस्यों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को उनके कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान पता चल सकती है, उसे पूर्ण गोपनीयता में रखा जाएगा, किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा और उनके कर्तव्यों के निष्पादन के अलावा किसी भी तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (घ) निदेशक केवल विशिष्ट समितियों के हिस्से के रूप में या बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा अधिकृत रूप में जानकारी मांगेंगे।

5. पद का दुरुपयोग

निदेशक या समिति के सदस्य या प्रमुख प्रबंधन कर्मी अपने पद का इस्तेमाल संगठन में स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए व्यवसाय या कोई अन्य आर्थिक लाभ लेने के लिए नहीं करेंगे।

ख. निदेशकों और समिति सदस्यों पर लागू**1. बैठक और कार्यवृत्त**

मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के निदेशक और समिति सदस्य-

- (क) किसी ऐसे विषय पर चर्चा में भाग नहीं लेंगे जिसमें कोई हितों का टकराव हो या उत्पन्न हो, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा, और ऐसे मामलों में उसे बैठक के कार्यवृत्त में प्रकट और दर्ज किया जाएगा;
- (ख) बैठक के दौरान कार्यसूची पत्रों के प्रसार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब तक कि परिस्थितिजन्य आवश्यकता न हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विचारों को व्यापक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए कार्यवृत्त रिकॉर्ड किए जाएं;
- (घ) मसौदा कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अंतिम कार्यवृत्त में शामिल किया जाए;
- (ङ) पिछली बैठक के कार्यवृत्त को आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जाने का आग्रह किया जाएगा;
- (च) प्रत्येक शासी बोर्ड बैठक और समिति बैठकों में शासी बोर्ड और समितियों के अन्य संबंधित सदस्यों के परामर्श से अगली बैठक की तारीख तय करने का प्रयास करेंगे;
- (छ) यह प्रयास किया जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम तथा समितियों के शासी बोर्ड के समक्ष रखी गई सभी महत्वपूर्ण कार्यसूचियों पर समयबद्ध तरीके से विचार-विमर्श किया जाए।
- (ज) बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड तथा समितियों की बैठक में किसी ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं किया जाएगा जो निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो तथा ऐसे किसी भी निर्णय की तत्काल प्राधिकरण को सूचना दी जाएगी।

2. मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में निदेशकों तथा समिति सदस्यों की भूमिका

- (क) निदेशक तथा समिति सदस्य बाजार अवसंरचना संस्थान के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा अपनी भूमिका को नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने तथा बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा तय किए जाने वाले मुद्दों तक सीमित रखेंगे।
- (ख) निदेशक तथा समिति सदस्य बाजार अवसंरचना संस्थान के कर्मचारियों को उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में प्रभावित करने से दूर रहेंगे।
- (ग) निदेशक तथा समिति सदस्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के कार्य में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, जब तक कि बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा ऐसा विशेष रूप से तय न किया जाए।

3. हितों के टकराव से बचना

- (क) बाजार अवसंरचना संस्थान का कोई भी निदेशक या समिति सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति या मामले के संबंध में किसी निर्णय लेने या न्यायनिर्णयन में भाग नहीं लेगा, जिसमें वह किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित या हितबद्ध हो।
- (ख) किसी मामले में हितों का टकराव, यदि कोई हो, बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

4. कार्यनीतिक योजना

मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान का प्रत्येक निदेशक और समिति सदस्य-

- (क) बाजार अवसंरचना संस्थान के सर्वोत्तम हित में कार्यनीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भाग लेगा और शासी बोर्ड स्तर पर सक्रिय निर्णय लेने में योगदान देगा;
- (ख) बाजार अवसंरचना संस्थान को अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ देगा और कार्यनीतिक योजना और निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगा;
- (ग) निवेशकों की शिकायतों के निवारण और निष्पक्ष व्यापार संव्यवहार को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता देगा ताकि बाजार अवसंरचना संस्थान प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए इंजन का कार्य कर सके।

5. मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के निदेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में लेन-देन का प्रकटीकरण

- (क) निदेशक और उनके निकटतम संबंधी आईएफएससी में प्रतिभूतियों में किए गए सभी लेन-देन या लेन-देन का खुलासा बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड के समक्ष रखेंगे।
- (ख) सभी निदेशकों को आईएफएससी में उन फर्मों या कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा किए गए व्यापार का भी खुलासा करना होगा, जिनमें उनका बीस प्रतिशत या उससे अधिक लाभकारी हित या नियंत्रक हित धारित है।
- (ग) बाजार अवसंरचना संस्थान ऊपर बताए गए प्रकटीकरण के लिए समय अवधि सहित विवरण प्रदान करेगा, बशर्ते कि प्रकटीकरण की समय अवधि लेनदेन/लेन-देन के पंद्रह दिनों के बाद की न हो।
- (घ) ऐसे निदेशक जो भारत सरकार, उसके वैधानिक निकायों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा नामित हैं और अपने स्वयं की संहिता द्वारा शासित हैं, उन्हें इस अनिवार्यता से छूट दी जाएगी।

ग. जनहित निदेशकों पर लागू

- (क) बाजार अवसंरचना संस्थान के जनहित निदेशक सभी शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे तथा यदि वे शासी बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे या एक कैलेंडर वर्ष में शासी बोर्ड की कुल बैठकों में से पचहत्तर प्रतिशत में उपस्थित नहीं होंगे, तो उन्हें पद का त्याग करना होगा।
- (ख) जनहित निदेशक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए कम से कम छह माह में एक बार अलग से बैठक करेंगे। जनहित निदेशक ऐसी बैठक की रिपोर्ट प्राधिकरण तथा बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय और तरीके के अनुसार प्रस्तुत करेंगे।
- (ग) जनहित निदेशक महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करेंगे, जिनमें बाजार अवसंरचना संस्थान के लिए हितों का टकराव हो सकता है या बाजार अवसंरचना संस्थान के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है या प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं हो सकता है। प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से दी जाएगी।
- (घ) जनहित निदेशकों को प्राधिकरण के निरीक्षण की टिप्पणियों, विशेष रूप से शासन मानकों, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा तथा सिस्टम ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट टिप्पणियों के मुद्दों पर, नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए।
- (ङ) जनहित निदेशकों को बाजार अवसंरचना संस्थान के कामकाज से संबंधित किसी भी मुद्दे की पहचान करने में सक्रिय होना चाहिए और प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। जनहित निदेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकरण से सभी विनियामक संचार/पत्र प्रबंध निदेशक की टिप्पणियों/रिपोर्ट के साथ शासी बोर्ड के समक्ष रखे जाएं।
- (च) जनहित निदेशकों को जनहित निदेशकों के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुरूप निरंतर आधार पर प्रबंध निदेशकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- (छ) जनहित निदेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबंध निदेशक की नियुक्तियां निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर की जाएं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की पहचान की बारीकी से जांच की जानी चाहिए और अपवादों को प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
- (ज) जनहित निदेशकों को विभिन्न समितियों के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और उनके कामकाज को संचालित करना चाहिए।
- (झ) विनियामक अनुपालन के लिए संसाधन आवंटन (वित्तीय और मानव दोनों) की पर्याप्तता सुनिश्चित की जाए।

घ. स्वतंत्र बाह्य व्यावसायिकों पर लागू

- (क) स्वतंत्र बाह्य व्यावसायिक वैधानिक समिति के सदस्य के रूप में प्राप्त किसी भी संवेदनशील जानकारी का उपयोग या उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई किसी प्रकार का अनुचित लाभ लेने के लिए नहीं करेंगे।

ड. प्रमुख प्रबंधन कर्मियों पर लागू

- (क) बाजार अवसंरचना संस्थान के प्रबंध निदेशक बाजार अवसंरचना संस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (विभागों के प्रमुखों) की उपस्थिति के बिना कर्मचारियों से मिलेंगे।
- (ख) बाजार अवसंरचना संस्थान के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को बाजार अवसंरचना संस्थान द्वारा निर्धारित आवधिक आधार पर (जो मासिक हो सकता है), आईएफएससी में प्रतिभूतियों में अपने सभी लेन-देन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बाजार अवसंरचना संस्थान के शासी बोर्ड या नियामक निरीक्षण समिति या अनुपालन अधिकारी को प्रकट करना होगा।

- (ग) सभी लेन-देन निवेश प्रकृति के होने चाहिए और सट्टा प्रकृति के नहीं होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, आईएफएससी में खरीदी गई सभी प्रतिभूतियों को बेचे जाने से पहले कम से कम साठ दिनों की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। हालांकि, विशिष्ट या असाधारण परिस्थितियों में, इस संबंध में लिखित रूप में अपनी संतुष्टि रिकॉर्ड करने के बाद अनुपालन अधिकारी से इस शर्त से छूट देने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करके किसी भी समय बिक्री की जा सकती है।

अनुसूची-II

[विनियम 2 (1) (j) (iii) और 27 (2) देखें]

मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के मुख्य कार्य

1. मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थान के लिए, मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

क) वर्टिकल 1: महत्वपूर्ण संचालन

- (i) ट्रेडिंग सुविधाओं का प्रावधान और संकार्य, समाशोधन और निपटान, और वित्तीय उत्पादों का अमूर्तिकरण जिसमें ऐसे वित्तीय उत्पादों को धारण करना और अंतरित करना शामिल है;
- (ii) व्यापार, समाशोधन और निपटान और अमूर्तिकृत वित्तीय उत्पादों से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखना;
- (iii) मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आईटी अवसंरचना;
- (iv) व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा रिकवरी संकार्य;
- (v) साइबर सुरक्षा और साइबर रिजिलेंस फ्रेमवर्क।

ख) वर्टिकल 2: विनियामक, विधिक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशकों की शिकायतें

- (i) जोखिम प्रबंधन;
- (ii) निगरानी और जांच;
- (iii) लिस्टिंग
- (iv) ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार प्रतिभागी का पंजीकरण;
- (v) जारीकर्ता या वित्तीय उत्पाद का प्रवेश;
- (vi) विधिक;
- (vii) अनुपालन;
- (viii) निरीक्षण;
- (ix) प्रवर्तन;
- (x) मध्यस्थता और शिकायत निवारण तंत्र;
- (xi) सदस्य चूक;
- (xii) निवेशक संरक्षण और सेवाएं।

ग) वर्टिकल 3: व्यवसाय विकास सहित अन्य कार्य

- (i) बिक्री;
- (ii) विपणन;

(iii) उत्पाद विकास;

(iv) वित्त।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./653/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 29th October, 2024

International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) (Amendment) Regulations, 2024

No. IFSCA/GN/2024/011 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, Sections 4, 8A and 31 read with Section 29B of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; and Section 25 read with Section 23G of the Depositories Act, 1996, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the principal regulations), namely:-

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) (Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

“(c) “clearing corporation” means an entity that is established to undertake the activity of clearing and settlement of trades in securities or other permitted financial products and includes a clearing house;
3. In regulation 2 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for clause (j), the following clause shall be substituted, namely: -

“(j) “key management personnel” in relation to a recognised market infrastructure institution shall mean and include:

 - i. a person appointed as its managing director or executive director;
 - ii. a person serving as the head of a department or vertical and directly reporting to the managing director or to the directors of its governing board;
 - iii. a person serving as the head of a core function as specified in regulation 27 of these regulations;
 - iv. a person who stands higher in hierarchy to the head of any department(s) handling its core function(s);
 - v. a person to whom a key management personnel reports;
 - vi. a person covered under the definition of “key managerial personnel” under the Companies Act, 2013; or
 - vii. any other person who is a key decision-making authority as identified by its governing board.
4. In regulation 2 of the principal regulations, in sub-regulation (1), in clause (k), for the words “trading member”, the words “broker dealer” shall be substituted.
5. In regulation (2) of the principal regulations, in sub-regulation (1), after clause (l), following clause shall be inserted, namely:-

“(la) “non-independent director” means a director elected or nominated by the shareholders who is neither a broker dealer, nor clearing member, nor depository participant, or their associate or agent;”

6. In regulation 2 of the principal regulations, in sub-regulation (1), clauses (u) and (v) shall be deleted.
7. In regulation 8 of the principal Regulations, in sub-regulation (2), in clause (d), for the word “securities”, the words “securities or other permitted financial products” shall be substituted.
8. In regulation 8 of the principal regulations, in sub-regulation (2), in clauses (e) and (f), for the words “trading members”, the words “broker dealers” shall be substituted.
9. After regulation 10 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

“10A. Code of Conduct for recognised market infrastructure institution- A recognised market infrastructure institution shall abide by the Code of Conduct as specified under Part-A of Schedule-I of these regulations.”

10. In regulation 15 of the principal regulations, the following explanations shall be inserted, namely:-

Explanation I- *For the purposes of this regulation, ‘net worth of a recognised stock exchange or recognised depository’ means the aggregate value of paid up equity share capital plus free reserves (excluding statutory funds, benefit funds and reserves created out of revaluation) reduced by the investments in businesses, whether related or unrelated, aggregate value of accumulated losses and deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off.*

Explanation II - *For the purposes of this regulation, ‘net worth of a clearing corporation’ means the aggregate value of its liquid assets calculated in the manner as may be specified by the Authority from time to time.*

Explanation III- *Cash and bank balance, fixed deposits, Government Securities and other instruments as may be specified by the Authority from time to time shall be considered as ‘liquid assets’ for the purpose of calculation of net worth of a clearing corporation.*

11. In regulation 16 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for clause (b) and its proviso, the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) a joint venture of market infrastructure institutions recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised stock exchange held by such joint venture.”

12. In regulation 17 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for clause (b) and its proviso, the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) a joint venture of market infrastructure institutions recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised clearing corporation held by such joint venture.”

13. In regulation 18 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for clause (b) and its proviso, the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) a joint venture of market infrastructure institutions recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised depository held by such joint venture.”

14. In regulation 23 of the principal regulations, in sub-regulation (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation: For the purpose of sub-clauses (v) and (vi) of this sub-regulation, any order or direction against a recognised market infrastructure institution or its shareholders, as the case may be, shall not adversely affect the operation of such recognised market infrastructure institution unless so expressly directed in the order or direction.”

15. In regulation 24 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for the words “shareholder director”, the words “non-independent director” shall be substituted.

16. In regulation 24 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

“The nominees of broker dealers or clearing members in an IFSC or their associates or agents, except nominee (s) of a scheduled commercial bank or a public financial institution, shall not be on the governing board of a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation.”

17. In regulation 24 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“The nominees of depository participants in an IFSC or their associates or agents, except nominee (s) of a scheduled commercial bank or a public financial institution, shall not be on the governing board of a recognised depository.”

18. In regulation 24 of the principal regulations, in sub-regulation (2), in clause (h), the following proviso shall be inserted, namely:-

“*Provided that* a public interest director may be appointed for a maximum of three terms across recognised market infrastructure institutions, subject to a maximum age limit of seventy five years.”

Provided further that, the existing public interest director(s) may continue in office till the expiry of their current term.

19. In regulation 24 of the principal regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(2A) The Authority may appoint not more than three directors on the governing board of a recognised market infrastructure institution, who shall enjoy the same status and powers as the other directors of the governing board.”

20. In regulation 24 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

(i) The appointment of managing director shall be for a term not exceeding five years:

“*Provided that* post the completion of first term, the recognised market infrastructure institution shall conduct the appointment process for appointment of the Managing Director afresh:

Provided further that managing director may be appointed by a recognised market infrastructure institution for a maximum period of ten years, subject to maximum age limit of sixty five years”

Provided also that, the existing managing director may continue in office till the expiry of the current term.

21. Regulation 25 of the principal regulations, shall be substituted as follows, namely:-

“25. Code of Conduct for the governing board, directors, committee members and key management personnel.- (1) The governing board, directors, committee members and key management personnel of a recognised market infrastructure institution shall abide by the Code of Conduct specified under Part-B of Schedule-I of these regulations.

(2) The Authority may, for any failure by the directors, committee members or key management personnel to abide by these regulations or Code of Conduct or in case of any conflict of interest, either upon a reference from the recognised market infrastructure institution or suo motu, take appropriate action including removal or termination of the appointment of any director, committee member or key management personnel after providing them with a reasonable opportunity of being heard.”

22. After regulation 25 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

“25A Compensation of key management personnel. - (1) A recognised market infrastructure institution shall constitute a Nomination and Remuneration Committee in the manner as may be specified by the Authority.

(2) The Nomination and Remuneration Committee shall determine the compensation of key management personnel in terms of a compensation policy approved by the governing board of the recognised market infrastructure institution.

(3) The compensation policy shall have malus and clawback arrangements.

(4) The compensation payable to the managing director of the recognised market infrastructure institution and any change therein shall be intimated to the Authority.”

23. For regulation 26 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“26. Committees. - (1) A recognised market infrastructure institution shall constitute functional committees, oversight committees and such other committees as may be specified by the Authority from time to time.

(2) The composition, quorum and functions of the committees referred to in sub-regulation (1) shall be specified by the Authority.”

24. For regulation 27 of the principal regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“27. Segregation of functions.- (1) A recognised market infrastructure institution shall identify its core and critical functions, and segregate them into the following verticals:

- a) Vertical 1: Critical Operations;
 - b) Vertical 2: Regulatory, Legal, Compliance, Risk Management and Investor Grievances;
 - c) Vertical 3: Other functions including business development.
- (2) The functions of the verticals referred under sub-regulation (1) above, are provided at Schedule-II of these regulations.
- (3) Every market infrastructure institution shall ring-fence the functions and personnel under vertical 2 as referred to in clause (b) of sub-regulation (1) from the other verticals.”
25. Title of the regulation 29 of the principal regulations shall be substituted with the following, namely:-
- “29. Admission of securities or other permitted financial products”**
26. In regulation 29 of the principal regulations, after the words “any new category of securities”, the words “or other permitted financial products” shall be inserted.
27. In regulation 31 of the principal regulations, in sub-regulation (6), following explanation shall be inserted, namely:-
- Explanation:** The detailed framework under sub-regulation (6), shall *inter-alia* specify the contribution to be made by the clearing members, recognised clearing corporation and recognised stock exchange towards the establishment of the fund and also provide the mechanism for replenishment of the fund in the event of a shortfall.
28. In regulation 32 of the principal regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- “(1) The trading hours for all product categories shall be as decided by the recognised stock exchange, based on cost-benefit analysis, but shall not exceed 23 hours and 30 minutes in a day, and settlement shall be done at least once a day.
- Provided that* a recognised clearing corporation shall ensure that during the trading hours, the Mark-to-Market losses on open futures contracts are collateralised at regular intervals based on risk assessment.”
29. In regulation 39 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the word “twenty”, the word “eight” shall be substituted.
30. In regulation 39 of the principal regulations, in sub-regulation (2), for the word “twenty”, the word “eight” shall be substituted.
31. In regulation 41 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the words “trading member”, the words “broker dealer” shall be substituted.
32. After regulation 43 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-
- “43A. Winding Down of Operations of a Recognised Clearing Corporation.-** (1) A recognised clearing corporation shall develop a framework for orderly winding down of its critical operations and services covering both voluntary and involuntary scenarios.
- (2) A recognised clearing corporation shall ensure that the framework provides for:-
- (a) the timely and orderly settlement or cessation or transfer of position(s);
 - (b) the transfer of the collateral(s) or deposit(s) or margin(s) or any other asset(s) of the members to another recognised clearing corporation that would take over the operations of the clearing corporation; and
 - (c) such other related matter.
- (3) A recognised clearing corporation shall include the framework referred in sub-regulation (1) above, in its bye-laws.”
33. Regulation 44 of the principle regulations shall be substituted as under:
- “44. Instruments eligible for dematerialization.** - All securities defined under the SCRA and other permitted financial products shall be eligible for being held in dematerialised form in a recognised depository.”
34. In regulation 57 of the principal regulations, in sub-regulation (3), for the word “twenty”, the word “eight” shall be substituted.

35. In regulation 62 of the principal regulations, for the word “twenty”, the word “eight.” shall be substituted.
36. After regulation 63 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-
- “63A. Chief Risk Officer.-** (1) A recognised market infrastructure institution shall appoint a chief risk officer to identify, monitor and initiate necessary steps to mitigate the risk associated with the functioning of a recognised market infrastructure institution.
- (2) The chief risk officer shall be responsible for the overall risk management of the recognised market infrastructure institution and submit a report to the Authority on a half-yearly basis.”
- “63B. Chief Legal Officer.-** (1) A recognised market infrastructure institution, which is not a subsidiary of a market infrastructure institution(s) or a joint venture of market infrastructure institutions, shall be required to appoint a chief legal officer.
- (2) A recognised market infrastructure institution, which is a subsidiary of a market infrastructure institution(s) or a joint venture of market infrastructure institutions, may take legal assistance from its parent entity.
- Provided that if the required legal assistance is not provided by the parent entity, such a recognised market infrastructure institution shall appoint a chief legal officer to manage its legal matters.
- Provided further that the Authority may require any recognised market infrastructure institution beyond a specified size and scale of operations in IFSC to appoint a chief legal officer.
- (3) The chief legal officer shall be responsible for taking the necessary steps to mitigate legal risk associated with the functioning of a recognised market infrastructure institution, including but not limited to-
- (a) drafting and vetting of the bye-laws or any amendments therein before submission of such documents to the Authority for approval;
 - (b) vetting of legal documents related to any cross-border arrangement proposed to be entered into by a recognised market infrastructure institution; and
 - (c) such other functions as may be specified by the governing board of a recognised market infrastructure institution or the Authority from time to time.
- 63 C. Chief Information Security Officer.-** (1) A recognised market infrastructure institution shall appoint a chief information security officer separately and in addition to a chief technology officer.
- (2) The chief information security officer shall be responsible for overseeing the cyber security posture of the recognised market infrastructure institution and shall report directly to the managing director / chief executive officer.
37. In regulation 73 of the principal regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
- “(6) The circulars 286/IFSCA/ CMD-DMIIT/PM/2021 dated September 13, 2021, 286/IFSCA/ CMD-DMIIT/PM/2021/001 dated November 30, 2021 and 286/IFSCA/ CMD-DMIIT/PM/2021/002 dated December 16, 2021, is hereby repealed, from the date of notification of these amendment regulations.”
- (7) Notwithstanding sub-regulations (6), anything done or any action taken or purported to have been taken under the circulars mentioned under sub-regulation (6), before the commencement of these amendment regulations shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.
38. At the end of the principal regulations, the following shall be inserted as the ‘Schedule-I’ and ‘Schedule-II’, namely:-

Schedule-I

(See regulation 10A)

Part A: Code of Conduct for a recognised market infrastructure institution

A recognised market infrastructure institution shall:

- (a) adhere to the provisions of the IFSCA Act, Securities Contracts (Regulations) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Depositories Act, 1996, including any rules, regulations, circulars, guidelines and any other directions issued thereunder.
- (b) adopt appropriate due diligence measures.
- (c) take effective measures to ensure implementation of risk management framework and good governance practices.

- (d) take appropriate measures towards investor protection and education of investors.
- (e) treat all its applicants or members in a fair and transparent manner.
- (f) promptly inform the Authority of any violations committed by any of its members, participants or issuer, in terms of the provisions of the IFSCA Act, Securities Contracts (Regulations) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Depositories Act, 1996, including rules, regulations, circulars, guidelines or any other directions issued thereunder.
- (g) take a proactive and responsible attitude towards safeguarding the interests of investors, integrity of market infrastructure institution's system and the securities market.
- (h) endeavor for introduction of best business practices amongst itself and its members or participants.
- (i) act in utmost good faith and shall avoid conflict of interest in the conduct of its functions.
- (j) not indulge in unfair competition, which is likely to harm the interests of any other market infrastructure institution, their members, participants or investors or is likely to place them in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.
- (k) Segregate roles and responsibilities of key management personnel within the market infrastructure institution including:
 - (i). Clearly mapping legal and regulatory duties to the concerned position;
 - (ii). Defining delegation of powers to each position;
 - (iii). Assigning regulatory, risk management and compliance aspects to business and support teams.
- (l) be responsible for the acts or omissions of its employees in respect of the conduct of its business.
- (m) monitor the compliance of the rules and regulations by the members or participants and shall further ensure that their conduct is in a manner that will safeguard the interest of investors and the securities market.

Part B

(See sub-regulation (1) of the regulation 25)

Code of Conduct for governing board, directors, committee members and key management personnel

I. Governing Board

The governing board of the recognised market infrastructure institution shall-

- (a) evaluate profitability margins of the market infrastructure institution.
- (b) ensure adequacy of resource allocation (both financial and human) towards regulatory compliances
- (c) focus on strategy, policy level issues and important matters.
- (d) only in exceptional cases, review the day-to-day operational matters.
- (e) oversee the critical operations including technology as well as the regulatory, risk management, compliance and investor grievance redressal functions of the market infrastructure institution.
- (f) take the lead in succession planning for the managing director and other key positions.
- (g) play an active role in defining, establishing and documenting risk management framework, covering risk appetite or risk tolerance policy of the market infrastructure institution and ensure that the policy contains the following:-
 - i. role of risk appetite in key processes;
 - ii. clear quantitative metrics and thresholds to monitor performance of the market infrastructure institution's risk appetite;
 - iii. acceptability of breaches and trigger response(s), if any;
 - iv. zero tolerance for areas such as cyber security, system stability, surveillance, fair access, fraud or corruption, compliance, etc.
- (h) make key stakeholders (executive and non-executive) aware of the use and value of risk appetite across the organization (including implications of breaches) and review and approve risk appetite metrics and thresholds periodically.
- (i) ensure adequate independence of key functions such as regulatory and control functions (risk management, compliance and audit functions) such that;

- i. regulatory and control functions have sufficient stature to perform their tasks effectively;
 - ii. regulatory and control functions operate independently and have appropriate direct access to the governing board of the market infrastructure institution and senior management;
 - iii. control functions are proactively involved in all relevant decisions and activities.
- (j) Provide for three lines of defense construct where:
- i. the first line of defense incorporates business units and support functions as it has the responsibility to own and manage risks associated with day to day operational activities;
 - ii. the second line of defense consists of various oversight functions i.e., regulatory, risk management, compliance teams;and
 - iii. the third line of defense comprises the internal audit function.
- (k) ensure that the roles and responsibilities of management in relation to three lines of defense are clearly specified and understood and that all employees are responsible for the regulatory, risk management and compliance outcomes.
- (l) ensure a culture of effective communication and challenge (i.e., encourage alternate views or questions from individuals and groups) and value and respect it.
- (m) ensure that any new product, service, revenue stream is examined by the concerned department of the market infrastructure institution from the compliance and risk management perspectives in addition to normal viability issues before approving the same.
- (n) review periodically all existing products, services and revenue streams.
- (o) shall meet, without the presence of the managing director and any other executive director, the chief regulatory officer or compliance officer, the chief risk officer, the chief information security officer, the statutory auditor of the market infrastructure institution and any other person as determined by the public interest directors and shareholder directors to discuss important issues concerning the market infrastructure institution, on a periodic basis as specified by the Authority.
- (p) periodically review the frequency of meetings and agenda items of the governing board and statutory committees to ensure that the number of meetings is rationalized and all important issues are discussed.
- (q) ensure that the agenda papers are approved by the Chairman of the governing board.
- (r) ensure that members of the governing board can place agenda item during their meeting.
- (s) be responsible for monitoring compliance with the code of conduct by the directors of the market infrastructure institution.
- (t) uphold a strong culture in the market infrastructure institution and promote target culture from the top through behaviour, actions and effective communication.
- (u) communicate the guiding principles for institution's target regulatory, compliance, risk and conduct culture.
- (v) endeavor that the market infrastructure institution put in place key elements related to culture such as:
- i. adequate training programs to help employees better understand expectations of behavior (for example, trainings on dilemmas);
 - ii. mechanisms to measure and track indicators related to culture at regular intervals;
 - iii. accountability mechanisms; and
 - iv. performance management mechanisms which take into account adherence to culture, conduct and behavior related dimensions.

II. Code of Conduct for directors, committee members and key management personnel

A. Applicable to directors, committee members and key management personnel of a recognised market infrastructure institution:

1. General Responsibility

Every director, committee members and key management personnel of the recognised market infrastructure institution shall-

- (a) analyse and administer the market infrastructure institution's issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness;

- (b) submit the necessary disclosures, statement of holdings, dealings in securities as required by the market infrastructure institution from time to time as per their rules, bye-laws or articles of association;
- (c) unless otherwise required by law, maintain confidentiality and not divulge or disclose any information obtained in the discharge of their duty and no such information is used for personal gains;
- (d) maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of their duties in order to inspire public confidence and not engage in acts discreditable to their responsibilities;
- (e) perform their duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, their independence or objectivity or official duties;
- (f) perform their duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication, and compassion;
- (g) not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of the market infrastructure institution;
- (h) promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities;
- (i) in the conduct of their business, observe high standards of commercial honour and; just and equitable principles of trade;
- (j) be exemplary in their conduct in business life which may set a standard for others;
- (k) not use their position to give or receive favours to or from the executive or administrative staff of the market infrastructure institution, technology or service providers and vendors or suppliers of the market infrastructure institution, or any listed company at the stock exchange or any issuer company admitted by the stock exchanges;
- (l) not commit any act which will put the reputation of the market infrastructure institution in jeopardy;
- (m) comply with the provisions of all applicable laws pertaining to the securities market;
- (n) directors and key management personnel shall at all point of time comply with all the internal policies of the market infrastructure institution including their code of conduct. If there is a conflict between the code of conduct policy of the market infrastructure institution with those provided by the Authority, then the policy issued by the Authority shall prevail.

2. Regulatory Compliances

Every director, committee member and key management personnel of the recognised market infrastructure institution shall—

- (a) ensure that the market infrastructure institution abides by all the applicable provisions of the IFSCA Act, Securities Contracts (Regulations) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992, including any rules, regulations, circulars, directions or any other instructions issued thereunder;
- (b) ensure compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breaches;
- (c) ensure that the market infrastructure institution takes steps commensurate to honour the time limit stipulated by the Authority for corrective action.

3. Disclosures of Beneficial Interest

All directors, committee members and key management personnel shall disclose to the governing board of recognised market infrastructure institution, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises:—

- (a) any fiduciary relationship of self and family members and directorship or partnership of self and family members in any broker dealer or clearing member or depository participant or registrar and transfer agent in IFSC;
- (b) shareholding, in cases where the shareholding of the director or key management personnel, directly or through his family exceeds 5 percent in any listed company or in other entities related to the securities markets;
- (c) any other business interests.

4. Access to Information

- (a) There shall be prescribed channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents or information shall be properly recorded.

- (b) All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and not be used for any personal consideration or gain.
- (c) Any information relating to the business or operations of the market infrastructure institution, which may come to the knowledge of directors or committee members or key management personnel during performance of their duties shall be held in strict confidence, shall not be divulged to any third party and shall not be used in any manner except for the performance of their duties.
- (d) Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the governing board of market infrastructure institution.

5. Misuse of position

Directors or committee members or key management personnel shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit in the organization for themselves or family members.

B. Applicable to the Directors and Committee Members

1. Meeting and Minutes

The directors and committee members of a recognised market infrastructure institution shall—

- (a) not participate in discussions on any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting;
- (b) not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances so require;
- (c) ensure that minutes are recorded to capture all points of opinion comprehensively;
- (d) offer their comments on the draft minutes and ensure that the same are incorporated in the final minutes;
- (e) insist on the minutes of the previous meeting being placed for approval in subsequent meeting;
- (f) endeavor to have the date of next meeting fixed at each governing board meeting and committee meetings respectively in consultation with other respective members of the governing board and committees;
- (g) endeavor that all important agendas placed before the governing board of stock exchange and clearing corporation and committees are deliberated in a timely manner.
- (h) not support any decision in the meeting of the governing board of market infrastructure institution and the committees respectively which may adversely affect the interest of investors and shall report forthwith any such decision to the Authority.

2. Role of the directors and committee members in the day to day functioning of the recognised market infrastructure institution

- (a) The directors and committee members shall not interfere in the day to day functioning of the market infrastructure institution and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the governing board of market infrastructure institution may decide.
- (b) The directors and committee members shall abstain from influencing the employees of the market infrastructure institution in conducting their day to day activities.
- (c) The directors and committee members shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the governing board of market infrastructure institution.

3. Avoidance of conflict of interest

- (a) No director or committee member of the market infrastructure institution shall participate in any decision making or adjudication in respect of any person or matter in which he or she is in any way, directly or indirectly, concerned or interested.
- (b) Conflict of interest in a matter, if any, shall be decided by the governing board of the market infrastructure institution.

4. Strategic Planning

Every director and committee member of the recognised market infrastructure institution shall—

- (a) participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the market infrastructure institution and contribute towards pro-active decision making at the governing board level;

- (b) give benefit of their experience and expertise to the market infrastructure institution and provide assistance in strategic planning and execution of decisions;
- (c) place priority for redressing investor grievances and encouraging fair trade practice so that the market infrastructure institution becomes an engine for the growth of the securities market.

5. Disclosure of dealings in securities by Directors of the recognised market infrastructure institution

- (a) All transactions or dealings in securities in IFSC by the directors and their immediate relatives shall be disclosed to the governing board of the market infrastructure institution.
- (b) All directors shall also disclose the trading in IFSC conducted by firms or corporate entities in which they hold twenty percent or more beneficial interest or hold a controlling interest, to the market infrastructure institution.
- (c) The details including time period for disclosures stated above shall be provided by the market infrastructure institution, provided that the time period for disclosure shall not be later than fifteen days of the transaction/dealing.
- (d) Directors who are nominees of Government of India, its statutory bodies or Public Financial Institutions and are governed by their own codes shall be exempt from this requirement.

C. Applicable to Public Interest Directors

- (a) Public Interest Directors of the market infrastructure institution shall endeavor to attend all the governing board meetings and they shall be liable to vacate office if they remain absent for three consecutive meetings of the governing board or do not attend seventy-five percent of the total meetings of the governing board in a calendar year.
- (b) Public interest directors shall meet separately, at least once in six months to exchange views on critical issues. Public interest directors shall submit a report of such meeting to the Authority and to the governing board of the market infrastructure institution within the time and manner as may be specified by the Authority from time to time.
- (c) Public interest directors shall identify important issues which may involve conflict of interest for the market infrastructure institution or may have significant impact on the functioning of the market infrastructure institution or may not be in the interest of securities market. The same shall be reported to the Authority in a time-bound manner.
- (d) Public interest directors shall have regular oversight on observations of Authority's inspection particularly on issues of governance standards, technology and cyber security and system audit and cyber security audit observations.
- (e) Public interest directors should be proactive in identifying any issues concerning functioning of market infrastructure institution and report the same to the Authority. Public interest directors should ensure all regulatory communication/letter from the Authority are placed before the governing board with comments/report of managing director.
- (f) Public interest directors shall put in place an evaluation mechanism to assess the performance of managing directors on a continuing basis in line with evaluation guidelines for public interest directors.
- (g) Public interest directors to ensure that appointments of managing director be held within specified timelines. Identification of key management personnel be closely scrutinized as per the laid down procedure and exceptions should be brought to the notice of the Authority.
- (h) Public interest directors should take proactive part in the deliberations of different committees and steer their functioning.
- (i) Ensure adequacy of resource allocations (both financial & human) towards regulatory compliances to be ensured.

D. Applicable to Independent External Professionals

- (a) Independent external professionals shall not use or act on any sensitive information received in capacity as a member of the statutory committee for obtaining any undue benefit.

E. Applicable to key management personnel

- (a) Managing director of the market infrastructure institution shall meet employees without the presence of other key management personnel (the heads of departments) to discuss important issues pertaining to market infrastructure institution.

- (b) Key management personnel of the market infrastructure institution shall disclose on a periodic basis as determined by the market infrastructure institution (which could be monthly), all their dealings in securities in IFSC, directly or indirectly, to the governing board or regulatory oversight committee or compliance officer of market infrastructure institution.
- (c) All transactions must be of an investment nature and not speculative in nature. Towards this end, all securities purchased in IFSC must be held for a minimum period of sixty days before they are sold. In specific or exceptional circumstances, however, sale can be effected anytime by obtaining pre-clearance from the compliance officer to waive this condition after recording in writing his satisfaction in this regard.

SCHEDULE -II

[See Regulation 2 (1) (j) (iii) and 27 (2)]

Core functions of a recognised market infrastructure institution

1. For recognised market infrastructure institution, the core and critical functions shall include but not limited to:
 - a) Vertical 1: Critical operations
 - (i) Provision and operation of trading facilities, clearing and settlement, and dematerialization of financial products including holding and transfer of such financial products;
 - (ii) Record keeping of information related to trade, clearing and settlement of trades and dematerialized financial products;
 - (iii) IT infrastructure for core and critical functions;
 - (iv) Business continuity plan and disaster recovery operations;
 - (v) Cyber security and cyber resilience framework.
 - b) Vertical 2: Regulatory, legal, compliance, risk management and investor grievances
 - (i) Risk management;
 - (ii) Surveillance and investigation;
 - (iii) Listing;
 - (iv) Registration of broker dealer, clearing member or depository participant;
 - (v) Admission of issuer or financial product;
 - (vi) Legal;
 - (vii) Compliance;
 - (viii) Inspection;
 - (ix) Enforcement;
 - (x) Arbitration and grievance redressal mechanism;
 - (xi) Member default;
 - (xii) Investor protection and services.
 - c) Vertical 3: Other Functions including Business Development
 - (i) Sales;
 - (ii) Marketing;
 - (iii) Product Development;
 - (iv) Finance.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./653/2024-25]